न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 अपील वाद संख्या–24 / 2015
गणेश चौधरी बनाम अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/12/2016	**आदेश** आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अपीलार्थी गणेश चौधरी की ओर से अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक–91 दिनांक–22.01.2015 से अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील वाद को प्रतिग्रहित किया गया एवं अनुज्ञापन पदाधिकरी –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत राज रामपुरा, प्रखण्ड–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा के अनुज्ञप्ति संख्या–59 / 07 जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। दिनांक–17.07.2014 को अपीलार्थी की तबियत एकाएक खराब हो गयी तो ईलाज हेतु सिंहवाड़ा डाक्टर के यहाँ चले गये इसी बीच उसी दिनांक–9:45 बजे सुबह प्रभारी पदाधिकारी मध्या्न भोजन, दरभंगा के द्वारा जाँच निरीक्षण में इनकी दुकान बंद पायी गयी तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के ज्ञापांक–636 दिनांक–31.07.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–13.08.2014 का डाक्टरी इलाज वो सबुत के साथ दाखिल किया गया एवं उनके स्पष्टीकरण पर ज्ञापांक–766 दिनांक–28.08.2014 के द्वारा प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा से मंतव्य की माँग की गयी जिसके आलोक में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के पत्रांक–185 दिनांक–10.10.2014 से प्राप्त मंतव्य में प्रमाण सहित दुकान बंद रखने का स्पष्टीकरण स्वीकार करने एवं अन्य आरोप पर समुचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के द्वारा दुकान से संबधित पंजियों के साथ द्वितीय स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुशंसा के आलोक में ज्ञापांक–1153 दिनांक–11.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं अपीलार्थी द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण दिनांक–30.12.2014 को दाखिल किया। परंतु अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार नही कर इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इनके विरूद्ध लगाया गया आरोप मिथयापूर्ण, गलत एवं निराधार है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 के 7(V) के अनुसार अधिकतम 90 दिनो तक अनुज्ञप्ति रद्द होगी एवं विद्वान् अधिवक्ता ने पी0एल0जे0 आर0–1996 पृ0 संख्या–53 में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–1511 / 1995 तथा ए0आई0आर0–1992 (कलकत्ता)पृ0 संख्या–339 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि एक दिन दुकान बंद रहने के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा स्पष्टीकरण अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञ अधिवक्ता ने अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश को गलत बताते हुये अनुज्ञापन	

रद्द आदेश ज्ञापांक–91 दिनांक–22.01.2015 को निरस्त करने हेतु याचना किया है।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश को सही बताया है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी अपील आवेदन में निम्न त्रुटि है :–

01. डॉक्टर के पास जाने की लिखित सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं दूकान पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं है।

02. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश दिनांक–15.01.2015 / 21.01.2015 के कंडिका 9 के अनुसार विक्रेता खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण स–समय नहीं करते है, जो सार्व0 वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 में उल्लेखित अनुज्ञप्तिधारी के दायित्वों के विपरित है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–22.01.2015 को सम्पुष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 30/12/16
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 63 / जिला विधि, दिनांक 11-01-17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा को आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा।

ह0 –
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।

ज्ञापांक 63 / जिला विधि, दिनांक 11-01-17

प्रतिलिपि :- विज्ञान प्रावैधिकी प्रबन्धक, एन0 आई0 सी0, दरभंगा को सूचनार्थ तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/01/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।
10/1/17